proceeding राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 21 दि० 12.11.16 में प्रकरण रखा गया। rder or ceeding परिवादी सहित अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता। अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री बी०एस० गुर्जर। प्रकरण परिवादी साक्ष्य/राजीनामा हेतु नियत है। उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित राजीनामा आवेदन धारा 147 दप्रस के अधीन अधिवक्तागण द्वारा पहचानयुक्त पेश किया गया। आवेदन के माध्यम से निवेदन किया क उभयपक्षों में मधुर संबंध रखने के आशय से राजीनामा हो गया है। अभियुक्त को व्यापार में अत्यधिक हानि होने से अभियोगी द्वारा अभियुक्त की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बीस हजार रूपये में राजीनामा कर लिया है, शेष राशि को छोड दिया है। अतः राजीनामा स्वीकार कर प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया है। उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत डॉकेट भरकर 20 हजार रूपये में राजीनामा किया जाना बताया प्रकरण धारा 138 एन0आई0 एक्ट संबंधी है जिसमें यद्यपि अपराध विवरण विरचित हो चुके हैं किन्तु अभी साक्ष्य नहीं हुई है। न्यायदृष्टांत दामोदर एस प्रमु विरूद्ध सैयद बाबा लाल ए०आई०आर० 2010 एस०सी०-1907 के माध्यम से मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राजीनामा में प्रकरण उपशमन किए जाने की दशा में Identy first fon De चैक राशि के दस प्रतिशत राशि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया है। यद्यपि उक्त दस प्रतिशत राशि अत्यंतिक नहीं हैं। न्यायदुष्टांत म०प्र० स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी विरुद्ध प्रतीक जैन 2014 (3) जे0एल0जे0-243 एस0सी0 में अभिनिर्धारित किया है कि जहां मामला लोक अदालत में निराकृत होता है वहां न्यायदृष्टांत दामोदर "उपरोक्त" के मानि में दिए गए दिशा निर्देश जो खर्च या कोस्ट के संबंध में उसमें मुक्ति नहीं दी ज सकती है। साथ ही यह स्पष्ट किया कि दामोदर "उपरोक्त मामले" में न्यायालय का यह विवेकाधिकार प्रदान किया गया है कि विशेष तथ्य व परिस्थितियों में इस राशि को न्यायालय कम कर सकती है। उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में इस मामले में परिवादी ने अभियुक्त को व्यापार में हुए नुकसान को देखते हुए उसकी चैक राशि से कम में राजीनामा करने का आवेदन दिया है साथ ही उभयपक्ष नेशनल मेगा लोक अदालत में राजीनामा करते हुए परस्पर मधुर संबंधों के उत्कर्ष हेतु आशान्वित हैं। लोक अदालत पीठ सदस्यगण ने भी उल्लेखित कारण को देखते हुए युक्युक्त परिव्यय अधिरोपित कर अपराध के शमन किए जाने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिव्यय राशि को युक्तियुक्त अधिरोपित करना उचित होगा। अतः यदि अभियुक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में राजीनामा हुए राशि की दस प्रतिशत अर्थात मूल की दो प्रतिशत राशि को जमा कर रसीद प्रस्तुत करे तो प्रकरण में अपराध शमन किया जा सकेगा। प्रकरण थोडी देर बाद पुनः पेश हो। (A.K.Gupta) Judicial Magistrate First Class Gohad distr. Bhing (M.P.) GRPG—72-Forms—24-6-16—1,00,000 Forms